(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2966-III/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 23/निगरानी/2010–11

प्रतापसिंह पुत्र रघुवर
निवासी ग्राम फुटेरा तहसील ईसागढ़
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1–बृजेश कुमार पुत्र जमना प्रसाद
निवासी ग्राम फुटेरा तहसील ईसागढ़
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)
2–म0प्र0शासन द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा,
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्री जी0पी0नायक, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक शासन अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/11/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 23/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 2 अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा अशोकनगर द्वारा दिनांक 26–10–2010 को विवादित भूमि सर्वे कमांक 360/1 रकबा 1.734 हेक्टर स्थित ग्राम फुटेरा जिला अशोकनगर का सीमांकन एवं पंचनामा दिनांक 26–10–2010 को फील्ड बुक सीमांकन नियमों के विपरीत आवेदक की अनुपस्थिति में बिना कोई सूचना व तामील के माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके उस समय किया जब आवेदक अपनी बहन के पास आवश्यक कार्य से गुना गया हुआ था । जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 23/निगरानी/2010–11 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 से निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2013 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदक की भूमि सर्वे नम्बर 367/3 रकबा 1.254 हैक्टर स्थित फुटेरा तहसील ईसागढ़ अनावेदक कमांक 1 की भूमि सर्वे नम्बर 360/1 से लगी हुई है आवेदक के स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 367/3 रकबा 1.254 हैक्टर स्थित फुटेरा तहसील ईसागढ़ के संबंध में विवाद प्रकरण कमांक 22ए/2005 माननीय व्यवहार न्यायालय में चला उक्त प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा विधिवत् तहसीलदार को न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया था तथा आवेदक की भूमि की पैमाइश करवा के चोरा बंदी करवाकर दिनांक 29–09–2009 को विधिवत् वाद पत्र स्वीकार किया था एवं उक्त तथ्य को छिपाते हुये अनावेदक कमांक 1 ने फर्जी तरीके से आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमांकन का आदेश कराया जो दीवानी न्यायालय के निर्णय के आधार पर शून्य हो जाता है । तर्क में यह भी आधार लिया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार वृत्त सारस खेड़ी तहसील ईसागढ़ द्वारा दिनांक 6–6–2009 को मौके पर जाकर राजस्व निरीक्षक के साथ सीमांकन किया, पंचनामा बनाया उक्त पंचनामें पर

आवेदक एव अनावेदक कमांक 1 बृजेश कुमार के भी हस्ताक्षर है तथा दिनांक 8–6–2009 को व्यवहार न्यायालय ने नायब तहसीलदार मनोज तेहनगुरिया द्वारा आयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा जिसके आधार पर व्यवहार न्यायालय ने दिनांक 28–9–09 को आवेदक का वाद स्वीकार किया ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख का आदेश को बहाल रखने में अवैधानिकता की है । तर्क में यह भी कहा गया अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 के द्वारा किये गये सीमांकन के तहत आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि में से एक बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है

4– अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा कराये गये सीमांकन में आवेदक अनुपस्थित रहा है उसे विधिवत् सूचना भी नहीं दी गई । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हे कि उसने अपनी लिखित आपत्ति भी पेश की थी उस पर विचार नहीं किया गया। अपर कलेक्टर ने भी इन बिन्दुओं की अनदेखी की है । स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में होने से दूषित मानी जायेगी । अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । अधीक्षक भू–अभिलेख की सीमांकन की कार्यवाही तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30–05–2013 को निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीक्षक भू–अभिलेख को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष तथा अन्य संबंधित पक्षों की उपस्थिति में पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.